Regarding employees of LIC and to remove GST on Medical insurance

श्री गुरजीत सिंह औजला **(अमृतसर) :** मैडम, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं आपका ध्यान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिमों की तरफ दिलाना चाहता हूं । वे ओपन आर्किटेक्चर एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं । वे द इंश्योरेंस एक्ट, 1938 के सेक्शन 42(2) में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं । इससे प्राइवेट एलआईसी कंपनियों को यह अधिकार हो जाएगा कि वे किसी भी एजेंट के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी के 14 लाख के करीब एजेंट हैं । उनका बहुत अच्छा रिश्ता है । उनकी मेहनत की वजह से जो 5 करोड़ की कंपनी वर्ष 1956 में थी, वह आज 52 लाख करोड़ की बन गई है । यदि इस अमेंडमेंट को लाएंगे तो इससे उनका भविष्य खतरे में है और कंपनी भी लॉस में जाएगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर 18 परसेंट जीएसटी है । सीनियर सिटीजन को इसका बहुत बड़ा नुकसान है । कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है तो इंश्योरेंस लेने की जरूरत बन गई है । जब इंश्योरेंस को खरीदते हैं तो सीनियर सिटीजन 18 परसेंट कैसे देंगे । सरकार को इसको माफ करना चाहिए और एलआईसी का अमेंडमेंट लेकर नहीं आना चाहिए।